म

मुकदमा अन्तर्गत धारा 47(1) 151 CPC चक 18 ML

किस्म मुकदमा मु. माल 74/2018 प.ह. ....

	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख मे जारी हुआ
4/18	यह प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण की ओर से श्री बलराम स्वामी एडवोकेट द्वारा प्रस्तुत किया गया है। सरिस्ता से रिपोर्ट हो चुकी है। प्रार्थना– पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 16/5/18 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर	748
16-5-18	वकील उभय पक्ष अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी [illegible] है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 12-6-18 को पेश हो। [illegible]	
018	न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत 18 एम. एल. में आयोजित राजस्व लोक अदालत में पत्रावली पेशी में ली गई प्रार्थी स्वयं उपस्थित प्रार्थी को सुना गया प्रार्थी द्वारा अपनें प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए न्यायालय के आदेश दिनांक 26.05.2017 पर पुनः विचार कर चक 18 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 17 में रास्ता निरस्त करनें हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थी के कथनों पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 26.05.2017 को ग्राम पंचायत 18 एम.एल. में आयोजित राजस्व लोक अदालत के दौरान ग्राम पंचायत के निवासीयों के आवेदन पत्र पर सुना जाकर सार्वजनिक हितो को मध्य नजर रखते हुए मजमें आम में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के अनुसार रास्ता स्वीकृत किया गया था। अतः अब प्रार्थी के आवेदन पर रास्ता को निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं होनें के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिंनाक 12.06.2018 को लिखवाया जाकर न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के अन्तर्गत ग्राम 18 एम.एल. में आयोजित राजस्व लोक अदालत के मजमे आम में सुनाया गया। (यशपाल आहूजा) उपखण्ड अधिकारी एवम पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर	राजकुमार 12-6-18

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर